न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 48 / 2018
RCMS Case No. 2018 / 00072

प्रार्थी :— **बनाम** **अप्रार्थी:—**

सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

जसा, हरदेव पि0 धना के का0मु0
1. श्री कन्हैयालाल पुत्र सुजाराम
2. श्री धर्मीचन्द पुत्र सुजाराम
3. श्री पारसमल पुत्र सुजाराम
4. श्री दामोदर पुत्र सुजाराम
5. श्री जीवाराम पुत्र सुजाराम
6. श्री सुगन पुत्र सुजाराम
7. श्री अनाराम पुत्र हरदेव जातिगण माली निवासीगण रायपुर तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री पृथ्वीसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

—:: आदेश ::—

दिनांक 07/6/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कपूरडी पटवार मण्डल रायपुर II तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2080 / 10 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै0मु0 बाडा की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी के पूर्वजों को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 85 के आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इसके पश्चात उक्त भूमि जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के अप्रार्थीगण के नाम अन्तरित हुई है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम कपूरडी पटवार मण्डल रायपुर II के नामान्तरकरण संख्या 85 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वजों को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के मकान आदि बने हुए है। जैर अपील वादस्थ भूमि किसी भी रूप में अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश से प्रभावित नहीं होती है। तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध रूप से रेफरेन्स कार्यवाही की गई है, जो पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का

अति० जिला कलेक्टर, पाली

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम कपूरडी पटवार मण्डल रायपुर II तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2080/10 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै0मु0 बाडा की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2080 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 85 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2080 की किस्म गै0मु0 रास्ता थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत रास्ता आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है तथा कॉमन लैण्ड की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किए आवंटन एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम कपूरडी पटवार मण्डल रायपुर II तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2080/10 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै0मु0 बाडा तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 85 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली